संख्याः10/2016/331/94-स्टा0नि0-2-2016-700(285)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2, लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2016

विषयः भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-2(9) में दी गई 'कलेक्टर' की परिभाषा के सम्बन्ध में शासन की अधिसूचना संख्या-एस0आर0-3459/11-90-500(61)-90 दिनांक 16.11.1990 को निरसित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-40 के अन्तर्गत जनपद के जिला कलेक्टर को 'कलेक्टर' की हैसियत से स्टाम्प कमी के वादों को निस्तारित किए जाने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-2(9) में कलेक्टर शब्द को परिभाषित किया गया है। उक्त धारा के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद के अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व), स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प एवं अन्य अपर कलेक्टर एवं परगनाधिकारियों को भी कलेक्टर की परिभाषा में शामिल करते हुए स्टाम्प वादों के निस्तारण का अधिकार प्रदान किया गया है।

2- शासन की अधिसूचना संख्या-एस0आर0-3459/11-90-500(61)-90 दिनांक 16.11.1990 द्वारा समस्त परगनाधिकारियों एवं अपर कलेक्टर को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्टाम्प वादों के निस्तारण हेतु कलेक्टर घोषित किया गया है।

3- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के अतिरिक्त अन्य अपर जिलाधिकारियों एवं परगनाधिकारियों के स्तर पर प्रशासकीय एवं अन्य दायित्वों की व्यस्तता के कारण स्टाम्प वादों के निस्तारण की प्रगति के अवरूद्ध होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या -एस0आर0-3459/11-90-500(61)-90 दिनांक 16.11.1990, जिसके द्वारा समस्त परगनाधिकारियों एवं अपर कलेक्टर को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्टाम्प वादों के निस्तारण हेतु कलेक्टर की शक्तियॉ प्रदान की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी थी, को अधिसूचना संख्या-9/2016/सी0एम0-20/94-स्टा0नि0-2-2016-700(285) /2015 दिनांक 17.03.2016 द्वारा निरसित कर दिया गया है।

4- शासन द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक 17.03.2016 के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि कृपया अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के अतिरिक्त अन्य अपर जिलाधिकारियों एवं परगनाधिकारियों के न्यायालय में लम्बित स्टाम्प वादों को वापस लेते हुए उन्हें स्वयं अपने न्यायालय अथवा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालय में यथाशीघ्र स्थानान्तरित करते हुए नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः10/2016/331(1) /94-स्टा0नि0-2-2016-700(285)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिरीक्षक निबन्धन/स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।

4- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/ उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्घन/ सहायक आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।